दिनांक 19.12.2011 को जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला चयन समिति, मुंगेर की अध्यक्षता में निलम्बित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निलम्बन से मुक्त करने हेतु सम्पन्न जिला चयन समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- निलंबित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निलंबन से मुक्त करने हेतु आहूत जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में निम्न पदाधिकारीगण उपस्थित हुए :-

1. जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. अपर समाहर्त्ता, मुंगेर।
3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर।
4. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर।
5. अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर।
6. जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर।
7. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर।

सर्व प्रथम उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी यथा संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त अभिलेख/अनुशंसा पर विचार किया गया। तत्पश्चात निलंबित जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं को निलंबन से मुक्त करने संबंधी कुल -19 (उन्नीस) मामलों के प्राप्त अभिलेख पर विचार करते हुए सर्व सम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित किया गया।

(1) सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार,पटना के ज्ञापांक 601 दिनांक 15.02.07 द्वारा प्रचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2010 एवं प्रधान सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण बिभाग बिहार पटना के अधिसूचना ज्ञापांक 5738 दिनांक 23.06.11 द्वारा प्रचालित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2011 में वर्णित दिशा-निर्देशों के आलोक में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर जिला चयन समिति के द्वारा निम्न जन वितरण प्रणाली बिक्रेता को निलम्बन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

क्र0	निलंबन ज0वि0प्र0 विक्रेता का नाम/पता अनुज्ञप्ति संख्या	निलंबन की तिथि	निलंबन का कारण	अनुज्ञापन पदा0 के पत्रांक/दिनांक जिसके द्वारा अनुशंसा प्राप्त है	संबंधित अनुमंडल पदा0 का नाम	समिति का निर्णय
1	2	3	4	6	7	
1.	श्री फकीरा साह,श्रीमतपुर पंचायत, सदर प्रखंड, अनु0 सं0-01/06	13.05.10	1.खाद्यान्न एवं किरासन तेल में सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि लिया जाना। 2.चीनी का वितरण उपभोक्ताओं को एक बार भी नहीं दिया जाना। 3.निर्धारित मात्रा के अनुरूप बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जाना।	847/25.10.11	सदर, मुंगेर	चेतावनी के साथ निलम्बन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।
2	श्री सियाराम सिंह, महगामा, धरहरा अनु0 सं0-43/08	27.08.10	प्रखंड आपूर्ति पदा0 द्वारा जॉय के क्रम में दुकान बंद पाया गया। माह जुलाई का किरासन तेल वितरण नहीं करना कुछ अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण नहीं करना एवं अनुज्ञापन पदा0 के आदेश का अवहेलना करना।	847/25.10.11	सदर, मुंगेर	तथैव

3	श्री अर्जुन प्रसाद वर्मा, महगामा, धरहरा, अनु0 सं0-22/08	27.08.10	1.प्रखंड आपूर्ति पदा0 द्वारा निरीक्षण के क्रम में अनाधिकृत रूप से दुकान बंद पाया गया बंद का कारण सूचना पट पर अंकित नहीं था। 2. माह जुलाई-10 का किरासन तेल उपभोक्ताओं के बीच वितरित नहीं कर कालाबाजारी में बेच देना।	847/25.10.11	सदर, मुंगेर	तथैव
4	श्री कालेश्वर प्रसाद यादव, आजीमगंज, धरहरा अनु0 सं0-29/08	15.06.10	जॉच के क्रम में दुकान संचालन/वितरण में धोर अनियमिततता एवं धोखाधरी करने के कारण दलीत बस्ती में पुछ-ताछ करने पर अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 कूपनधारी को कई माह से खाद्यान्न नही दिये जाने के कारण।	875/15.11.11	सदर, मुंगेर	तथैव
5	श्री अशोक चौधरी, बरियारपुर, ब्रहमस्थान अनु0 सं0-05/08	10.05.10	बी0पी0एल0 योजना का खाद्यान्न माह जून-09 से मार्च-10 तक एक बार भी वितरण नहीं किया गया एवं अत्योदय योजना का खाद्यान्न मात्र जनवरी-10 में कम मात्रा में खाद्यान्न देकर अधिक राशि लेने के कारण।	847/25.10.11	सदर, मुंगेर	तथैव
6	श्री बैकुण्ठ सिंह, औड़ा बगीचा, धरहरा अनु0 सं0-35/08	14.02.11	अन्त्योदय उपभोक्ताओं को 10 किलो गेहूँ एवं 15 किलो चावल देना (जबकि 14 किलो गेहूँ एवं 21 किलो चावल देने का प्रावधान है) 4 किलो गेहूँ एवं 5 किलो चावल कम देकर कालाबाजारी में बेच देना।	847/25.10.11	सदर, मुंगेर	तथैव
7	श्री अच्छे लाल शर्मा, इन्द्ररूख पूर्वी, जमालपुर अनु0 सं0-17/08	10.05.10	1.विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को आधा किलो चीनी आपूर्ति करते समय एक माह का बी0पी0एल0 खाद्यान्न का कूपन फाड़ कर रख लेना। 2.पांच बी0पी0एल0 कूपन के बदले तीनवार खाद्यान्न उपलब्ध करना। 3.अन्त्योदय योजना के तहत मात्र तीनवार यथा अगस्त-09 सितम्बर-09 एवं जनवरी-10 खाद्यान्न उपभोक्ताओं को उपलब्ध करना। 4.बी0पी0एल0 खाद्यान्न आपूर्ति के लिये उपभोक्ताओं से अधिक राशि लिये जाने के कारण।	875/15.11.11	सदर, मुंगेर	तथैव
8	श्री अरविन्द कुमार, वार्ड नं0-16 नगर परिषद, मुंगेर अनु0 सं0-55/08	29.01.10	1.अनुज्ञापन पदा0 के आदेश का अवहेलना करना। 2.जॉच के समय भंडार पंजी विक्री पंजी एवं अन्य कागजात जॉच हेतु प्रतुत नहीं किया जाना। 3.मार्च-09 से बी0पी0एल0 बैंक ड्राफ्ट नहीं लगाया जाना 4.ए0पी0एल0 योजना का भी अगस्त-09 से सितम्बर-09 तक का बैंक ड्राफ्ट नहीं लगाया जाना।	875/15.11.11	सदर, मुंगेर	तथैव
9	श्री विषुनदेव साह, पड़िया, बरियारपुर अनु0 सं0-19/08	29.09.10	1.जॉच के क्रम में बिना सूचना के दुकान बन्द पाया गया। 2.अन्त्योदय कूपनधारी श्री मति पूनम देवी, राकेश पोद्धार जमादार झा, माला देवी एवं सजन पोद्धार को कई माह से खाद्यान्न नहीं दिया जाना। 3.बी0पी0एल0 उपभोक्ताओं को चीनी एक बार भी नहीं दिये जाने के कारण।	847/25.10.11	सदर, मुंगेर	तथैव
10	श्री राजकिशोर प्रसाद, अमारी धरहरा, अनु0 सं0-110/85	30.07.10	1.जॉच के क्रम में दुकान बंद पाया जाना एवं बंद का करण सूचना पट पर अंकित नहीं किया गया। 2.माह जुन का किरासन तेल कुछ उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाना 3.कुछ उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया कि विगत वर्ष लाल कूपन पर एक बार भी खाद्यान्न नहीं दिया गया। 4.श्री मति तेतरी बिन्द द्वारा बताया गया कि एक माह का किरासन तेल देकर दो माह का कूपन फाड़ लिया जाता एवं मूल्य से अधिक राशि लिये जाने कारण ।	875/15.11.11	सदर, मुंगेर	तथैव

11	श्री उमेश पासवान, ईटवा,पंचरूखी, धरहरा, मुंगेर अन0 सं0-17/08	16.12.09	सितम्बर-09 में 23 कूपनधारियों को किरासन तेल की आपूर्ति नहीं करना, 14 किलो गेहूँ के जगह 10 किलो ही दिया जाना तथा एक माह का राशन/किरासन के बदले दो माह का कूपन फाड़ लेना एवं नियंत्री पदा0 के बातों का अवहेलना करना।	875/15.11.11	सदर, मुंगेर	तथैव
12	श्री बलराम दास, रामनगर, जमालपुर, मुंगेर अन0 सं0-14/08	22.06.10	बी0पी0एल0/अन्त्योदय एवं किरासन तेल का कालाबाजारी तथा समय-समय पर ड्राफ्ट नहीं लगाना।	875/15.11.11	सदर, मुंगेर	तथैव
13	श्री महेन्द्र यादव, महगामा, धरहरा, मुंगेर अनु0 सं0-41/08	27.08.10	दिनांक 04.08.10 को बिना सूचना के दुकान बंद पाया जाना, उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया कि किसी को दो किसी को तीन माह से किरासन तेल का आपूर्ति नहीं किया जाना, कैसमेमो से अधिक राशि लेना तथा उपभोक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना।	875/15.11.11	सदर, मुंगेर	तथैव
14	श्री विश्वम्भर जायसवाल, नीरपुर, बरियारपुर, मुंगेर, अनु0 सं0-20/08	26.09.10	जॉच के दौरान दुकान टुटा हुआ, एवं दुकान के मुख्य द्वार का अवलोकन से प्रतित हुआ है कि दुकान बहुत दिनों से बंद है। विक्रेता निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित, खाद्यान्न/किरासन तेल सही मात्रा में नहीं देना तथा चीनी मात्र एक बार ही दिया जाना।	847/25.10.11	सदर, मुंगेर	तथैव
15	श्री अशोक मंडल, करहरिया, बरियारपुर, मुंगेर अनु0 सं0-02/08	26.09.10	दुकान कार्य अवधि में बंद तथा विक्रेता अनुपस्थित पाया जाना, अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 लाभार्थियों को कई माह से खाद्यान्न नहीं दिया जाना, उपभोक्ताओं को 10 जून से किरासन तेल को भुगतान नहीं करना एवं चीनी का वितरण एक बार भी नहीं करना।	847/25.10.11	सदर, मुंगेर	तथैव
16	श्री उदित नारायण सिंह,नीरपुर, बरियारपुर अनु0 सं0-09/08	26.09.10	गठित जांच टीम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ज0वि0प्र0 विक्रेता के घर पर कोई नहीं था। 200 फीट की दूरी पर किरासन तेल का ड्राम खुले में पासा गसा। 05 अन्त्योदय लाभार्थी द्वारा बताया गया कि कई माह से खाद्यान्न तथा चीनी नहीं दिया है तथा किरासन तेल मूल्य से अधिक लिया जाता हैं	847/25.10.11	सदर, मुंगेर	तथैव
17	श्री सिद्धिनाथ चौधरी, ग्राम+पोंस्ट-बरियारपुर, प्रखंड-बरियारपुर, मुंगेर अनु0 सं0-18/08	18.12.09	1. ज0वि0प्र0 विक्रेता द्वारा रोस्टर के विरूद्ध खाद्यान्न का उठाव करना एवं वितरण के समय एक से अधिक कूपन लिया जाना। 2. उपभाक्ताओं को कम तेल देकर अधिक राशि लेना एवं नियमित दुकान नहीं खोलना। 3. जांच के क्रम में संबंधित पंजी उपलब्ध नहीं कराना एवं 16 महीने से बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं करना।	875/15.11.11	सदर, मुंगेर	तथैव
18	श्री अशोक कुमार मिश्रा, पंचायत-बनहरा प्रखंड टेटियाबम्बर अनु0 सं0-67/07	21.02.10	खाद्यान्न एवं किरासन तेल की कलाबाजारी करने एवं की गई अनियमिता को छुपाने के लिए थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के कारण।	238/27.08.11	खड़गपुर	तथैव

19	श्री गौरी शंकर यादव, ग्राम पंचायत-सजुआ प्रखंड असरगंज अनु0 सं0-103/08	05.06.10	ज0वि0प्र0 विक्रेता द्वारा खाद्यान्न की कालवाजारी करना एवं उपभोक्ताओं से अधिक राशि लेने के कारण।	1875/02.02.11	तारापुर	तथैव

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अनुज्ञप्ति निर्गत करने के पूर्व आश्वस्त हो लेगें कि इन पर 7 ई0सी0 का मामला तो दर्ज नहीं है।
अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

29/12/11

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
जिला स्तरीय चयन समिति, मुंगेर।

ज्ञापांक 1086/जि0आ0, दिनांक 30.12.2011
प्रतिलिपि : सभी अनुमंडल पदाधिकारी (मुंगेर जिला) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी जिला स्तरीय चयन समिति के सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

29/12/11

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
जिला स्तरीय चयन समिति, मुंगेर।

ज्ञापांक 1086/जि0आ0, दिनांक 30.12.2011

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदधिकारी (NIC) मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/12/11

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
जिला स्तरीय चयन समिति, मुंगेर।